

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा 765 के0वी0 सिंगल सर्किट आगरा-ग्रेटर नोएडा पारेषण लाईन के निर्माण में जनपद आगरा की प्रभावित 0.4996 हे0 वन भूमि (0.3268 संरक्षित भूमि एवं 0.1728 आरक्षित भूमि) पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

Proposal No. - 41685/2019

14.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक, उप वन संरक्षक द्वारा दी गई सूचना से सहमत हैं।	सहमत
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत प्रकरणों के साथ विशेष सिफारिशें -	जनहित को देखते हुए प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक : 4.6.2020

स्थान : आगरा।

(के0 प्रवीण राव)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी वन संरक्षक, वन संरक्षक
आगरा वृत्त, आगरा वृत्त, आगरा।

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा 765 के0वी0 सिंगल सर्किट आगरा-ग्रेटर नोएडा पारेषण लाईन के निर्माण में जनपद फिरोजाबाद की प्रभावित 1.1315 हे0 वन भूमि (0.5125 संरक्षित वनभूमि एवं 0.619 हे0 आरक्षित भूमि) पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

Proposal No. - 41685/2019

14.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक, उप वन संरक्षक द्वारा दी गई सूचना से सहमत हैं।	सहमत
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत प्रकरणों के साथ विशेष सिफारिशें -	जनहित को देखते हुए प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक : 4.06.2020

स्थान : आगरा।

(के0 प्रवीण राव)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा। वन संरक्षक
आगरा वृत्त आगरा।